

अंचल कार्यालय, पाकुड़

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश : पत्रक : ता०..... से तक

अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या 05/2022-23

अंचल:-पाकुड़(सदर), जिला:-पाकुड़।

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6/2/23	इस वाद आवेदक मुस्ताक अली एवं खाबिर शेख पिता स्व० रहमत शेख ग्राम जानकीनगर द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर स्थालीय जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है, कि मौजा-रघुनन्दनपुर के खबीर शेख पिता रहमत शेख जिनका घर निर्माण कार्य दाग सं० 43 में हो रहा है, दाग सं० 62 से सटा हुआ है जो कि सरकारी रास्ता है। खबीर शेख का कहना है कि उनका जो मकान निर्माण का कार्य हो रहा है उनका अपना निजी दाग सं० 43 में ही हो रहा है। आवेदक मुस्ताक अली का कहना है कि खबीर शेख दाग सं० 62 सरकारी रास्ता को अतिक्रमण करते हुए अपना घर निर्माण कर रहा है। अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन ट्रेश नक्शा के साथ समर्पित किया गया है। मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मौजा रघुनन्दनपुर के अनावादी खाता सं० 289 दाग सं० 62 के आंशिक रकवा 52'X5'/2, एवं 37'6"X10"/2 पर खाबिर शेख पिता स्व० रहमत शेख द्वारा अवैध रूप से गृह निर्माण किया जा रहा है। संबंधित अतिक्रमणकारी को Form of Notice Under Section-3 of the Public Land Encroachment act 1956 Form I में नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, पाकुड़।	
8/4/23	अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन किया। अतिक्रमणकारी खबीर शेख पिता रहमत शेख साठ जानकीनगर द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि उनके द्वारा दाग सं० 62 पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे खबीर शेख द्वारा हटा लिया गया है। इस आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक जांच कर निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि खाता अनावादी खाता सं० 289 दाग सं० 62 पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे खबीर शेख द्वारा हटा लिया गया है। वर्तमान में दाग सं० 62 अतिक्रमणकारी मुस्ताक अली द्वारा किया गया है अतिक्रमण वाद ही अतिक्रमणकारी द्वारा ही समायोजित किया गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़।	